रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1249] नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2015/ज्येष्ठ 27, 1937
No. 1249] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2015/JYAISTHA 27, 1937

## गृह मंत्रालय

**(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)**

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2015

**का.आ. 1604(अ).**—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ न्यायिक आयुक्त के न्यायालय, रांची को 01 सितम्बर, 2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित 01 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2152(अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण झारखंड राज्य था;

और जबकि, सरफराज हसन काजमी, प्रधान न्यायिक आयुक्त, रांची जिन्हें दिनांक 16 जुलाई, 2012 की अधिसूचना सं. 1583(अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 16 जुलाई, 2012 की अधिसूचना सं. 1583(अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने के लिए छोड़ दिया गया था, झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर एतद्द्वारा, श्री अनन्त विजय सिंह, प्रधान न्यायिक आयुक्त, रांची को उक्त विशेष न्यायालय की भी अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-IV (भाग-2)]

एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2015

**S.O. 1604(E).—**Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 2152(E) dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st September, 2010, notified the Court of Judicial Commissioner, Ranchi as the Special Court for the purpose of sub-section (1) of Section 11 of the said Act having Jurisdiction throughout the State of Jharkhand;

And whereas, Shri Sarfaraz Hasan Kazmi, Principal Judicial Commissioner, Ranchi who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 1583(E), dated 16th July, 2012, has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S.O. 1583(E), dated the 16th July, 2012 except as regards things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Jharkhand, Ranchi, hereby appoints Shri Anant Vijay Singh, Principal Judicial Commissioner, Ranchi as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.IV (Part-2)]

M. A. GANAPATHY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.